तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तो बेदखली का वाद लाने की मियाद 12 वर्ष है जबकि जवाब एवं रिपोर्ट T.D.R से स्पष्ट है कि प्रतिवादी लगभग 20-25 वर्षों से इस आराजी पर काबिज चला रहा है ऐसी स्थिति में वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है वाद अवधि बाधित है प्रकरण में प्राप्त रेकार्ड से यह भी जाहिर है कि प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश बूढ़ी में भी वाद दायर किया हुआ है जहाँ से इनके हक में स्थगन आदेश भी जारी है ऐसी स्थिति में जवाब कथन की पुष्टि होती है अतः वाद वादी मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित होने से एवं अवधि बाधित होने से खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे